न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 50 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53 आरटीए

1. बलराम
2. भजनलाल

पि. मनफुल जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र मनफुल जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह.संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक :— 16.10.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण के नाम चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 40 / 39 खाता मनफुल वगैरा ज.स. 2068—71 में जरीये इन्तकाल स. 472 दिनांक 29—6—2017 के मुताबिक कुल 2.469है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 40 / 39 खाता मनफुल वगैरा ज.स. 2068—71 में जरीये इन्तकाल स. 472 दिनांक 29—6—2017 के मुताबिक कुल 2.469है0 आराजी दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिस. 1 ने काश्त की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 निम्नानुसार खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैः—

ए. वादी स. 1 बलराम पुत्र मनफुल का हिस्साः—

चक 20 एम.जे.डी.	97 / 185	28	2—3—9 / .253प्र 12 / .064 = 0.823है0

बी. वादी स. 2 भजनलाल पुत्र मनफुल का हिस्साः—

चक 20 एम.जे.डी.	97 / 185	28	8 / .253 12 / .063 13 / .253 19 / .127 22 / .127 = 0.823है0

सी. प्रति स. 1 श्रीराम पुत्र मनफुल का हिस्साः—

चक 20 एम.जे.डी.	97 / 185	28	23 / .253 = 0.253है0
	97 / 186	40	1 / .058 2—3 / .456 गै.मु. / .056 = 0.570है0
			कुल 0.823है0

वादीगण दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी साझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग—2 कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग—2 कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे। लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता अपना सहमति का जवाबदावा पेश किया। जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रति पेश की है। प्रतिवादी संख्या 2 राज–पेरोकार ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 भजनलाल का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी 2 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र को राज्यहित हित ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को डिग्री किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 20 एमजेडी खाता जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद की दफा 3 के मुताबिक खाता अलग कायम किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त किये जाने के कारण वाद वाादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का पत्र पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः– कि वादी स. 1 बलराम पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम.जे.डी. 97/185 मु.नं. 28 2–3–9/. 253प्र 12/.064 = 0.823 है0 वादी स. 2 भजनलाल पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम.जे.डी पं. नं. 97/185 मु.नं. 28 किला नं. 8/.253 12/.063 13/.253, 19/.127 22/.127 = 0.823है0 प्रति स. 1 श्रीराम पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम.जे.डी. पं.नं. 97/185 मु.नं. 28 23/.253 = 0.253है0 पं.नं. 97/186 मु.नं. 40 किला नं. 1/.058, 2–3/.456 गै.मु./.056 = 0.570है0 कुल 0. 823है0 भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 50 / 2019

1 बलराम
2. भजनलाल | पि. मनफुल जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम

1 श्रीराम पुत्र मनफुल जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह.संगरिया

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण गुरमीत सिह कलसी प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीगण में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी स. 1 बलराम पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम. जे.डी. 97 / 185 मु.नं. 28 2–3–9 / .253प्र 12 / .064 = 0.823 है0 वादी स. 2 भजनलाल पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम.जे.डी पं.नं. 97 / 185 मु.नं. 28 किला नं. 8 / .253 12 / .063 13 / . 253, 19 / .127 22 / .127 = 0.823है0 प्रति स. 1 श्रीराम पुत्र मनफुल का हिस्सा चक 20 एम.जे. डी. पं.नं. 97 / 185 मु.नं. 28 23 / .253 = 0.253 है0 पं.नं. 97 / 186 मु.नं. 40 किला नं. 1 / .058, 2–3 / .456 गै.मु. / .056 = 0.570 है0 कुल 0.823है0 भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक में रहन है तो ऋण यथावत रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: